

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1534  
12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत  
इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं

**1534. श्री हैबी ईडन:**

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में निर्मित हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों में दोषपूर्ण बैटरी के कारण वाहनों में आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा और संख्या है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित घटकों को घरेलू परिस्थितियों के अनुकूल सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं सहित कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उपरोक्त मुद्दों की जांच के लिए कोई विशेषज्ञ समिति है; और
- (ङ) क्या सरकार ने चूक करने वाली कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : जी हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, ओकिनावा ऑटोटेक, प्योर ईवी, जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओला इलेक्ट्रिक और बूम मोटर्स द्वारा विनिर्मित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) : जी हां। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोटोटाइप/घटकों का परीक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुपालन के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

(घ) : जी हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आग लगने के मूल कारण की जांच करने और उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु तथा नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम के स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक जांच-दल गठित किया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और उसके घटकों, बीएमएस और संबंधित प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानक तैयार करने का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहन की L,M और N श्रेणी की ट्रेक्शन बैटरी के लिए तकनीकी अपेक्षाएं निर्धारित करने के प्रयोजन से दिनांक 28 सितंबर 2022 के सांविधिक आदेश 4567 (असाधारण) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों में संशोधन किये हैं, यथा-AIS:156 [L (चौपहिये से कमतर मोटर वाहन और चौपहिया साइकिल) श्रेणी के इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहनों के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं] और AIS:038 (आरईवी 2) [M श्रेणी (यात्रीवाहन के लिए न्यूनतम चार पहियों वाला मोटर वाहन) के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं] और N श्रेणी (मालवाहन के लिए न्यूनतम चार पहियों वाला मोटर वाहन) का इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहन। उक्त संशोधन 1 दिसंबर, 2022 से लागू हैं और इन एआईएस मानकों के कुछ खंड 31 मार्च, 2023 से प्रभावी होंगे।

(ड.) : जी हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चौपहिया साइकिल (क्वाड्रिसिकिल), ई-रिक्शा, दोपहिया और चौपहिया वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के संबंध में उत्पादन अनुरूपता अपेक्षाओं के लिए दिनांक 25 अगस्त 2022 को सामान्य सांविधिक नियमावली 659 (असाधारण) के अंतर्गत अधिसूचना का मसौदा जारी किया था।

\*\*\*\*\*